

निजता की रक्षा और सम्मान के साथ महिला सशक्तिकरण

डॉ० रुचि सिंह

राजनीति विज्ञान विभाग

एस०एस०डी० पी०सी० गर्ल्स (पी०जी०) कॉलेज

रुडकी हरिद्वार

ईमेल: ruchisinghrkd07@gmail.com

डॉ० धर्मेन्द्र कुमार

राजनीति विज्ञान विभाग

चमन लाल महाविद्यालय लंबौरा

रुडकी हरिद्वार

ईमेल: dharmendrapradhan087@gmail.com

सारांश

महिलाओं को पुरी स्वतंत्रता देनी की आवश्यकता है। महिला सशक्तिकरण को बेहद आसान शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है कि इससे महिलाएं शक्तिशाली बनती हैं जिससे वह अपने जीवन से जुड़े फैसले स्वयं ले सकती हैं और परिवार और समाज में अच्छे रह सकती हैं।... इसमें ऐसी ताकत है कि वह समाज और देश में बहुत कुछ बदल सके। वह समाज में किसी समस्या को पुरुषों से बेहतर ढंग से निपट सकती हैं। वर्तमान दौर महिला सशक्तिकरण का दौर है आज महिलाएं आंगन से लेकर अन्तरिक्ष तक पहुंच गई हैं लेकिन फिर कुछ क्षेत्रों में महिलाओं की हालत दयनीय बनी हुई है।

मूल बिन्दु

सशक्तिकरण, नारी, दलित, जाति, कानून, अत्यचार, निजता और सम्मान।

Reference to this paper should be made as follows:

Received: 24.02.2022

Approved: 14.03.2022

डॉ० रुचि सिंह,

डॉ० धर्मेन्द्र कुमार

निजता की रक्षा और
सम्मान के साथ महिला
सशक्तिकरण

RJPP Oct.21-Mar.22,
Vol. XX, No. I,

pp.114-119
Article No. 14

Online available at :

[https://anubooks.com/
rjpp-2022-vol-xx-no-1](https://anubooks.com/rjpp-2022-vol-xx-no-1)

महिलाओं के लिए शक्ति के एक साम्यिक और सक्रिय हिस्से की मांग करने के लिये प्रयास करना सशक्तिकरण प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये उन विचारों और मूल्यों के बोझ को झेलना पड़ता है जो महिलाओं पर बचपन से ही उनकी सामाजिक प्रक्रिया के भाग के रूप में उन्हें हस्तान्तरित कर दी जाती है। यह सामाजिक अनुबंधन महिलाओं के व्यक्तित्व और उसके व्यवहार पर प्रभाव डालता है। महिलायें, समुदाय या समाज के एक हिस्से के रूप में रहती हैं तो बदले में अपने पितृ सत्तात्मक मूल्यों और व्यवहार सम्बन्धी अपेक्षित मानकों को उनके ऊपर थोप देता है। अतः सशक्तिकरण ही प्रक्रिया की शुरुआत इस कार्य से ही करनी चाहिये कि महिलायें सबसे पहले अपने व्यवहार और दृष्टिकोणों में परिवर्तन करें। इसका अर्थ यह है कि सर्वप्रथम महिलाओं की चेतना को ही बदलना चाहियें।¹

नारी और पुरुष दोनों ही सृष्टि के अभिन्न अंग हैं दोनों को एक-दूसरे का पूरक और सहगामी माना जाता है। प्राचीनकाल से ही नारी को शक्ति का स्वरूप मानकर उसकी पूजा होती रही है।

“यंत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता”

जैसी सूक्ति नारी की महिमा और महत्व बताने के लिये पर्याप्त है। अब प्रश्न यह उठता है कि महिला सशक्तिकरण क्यों आवश्यक है किसी भी संतुलित सामाजिक व्यवस्था के लिये विकास के क्षेत्र में पुरुषों तथा महिलाओं दोनों की समान भागीदारी आवश्यक है साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि एक स्त्री की प्रगति पर समाज तथा देश की प्रगति भी अवश्य निर्भर करती है। एक महिला समाज एवं परिवार में बेटी, बहन, पत्नी, बहु, सास आदि नातों के साथ-साथ शिक्षक चिकित्सक, नर्स वकील तथा पुलिसकर्मी आदि के रूप में भी अपनी सेवायें देती है। इस प्रकार उसकी सोच, समझ, एवं कार्य व्यवहार का व्यापक प्रभाव परिवार एवं समाज पर अवश्य होता है ऐसे में एक सुशिक्षित महिला अपने बच्चों की शिक्षा तथा परिवार के निर्णयों में भाग लेती है, उसकी आर्थिक सबलता उसे आत्मनिर्भर एवं स्वाभिमानी बनाती है। सामाजिक स्थिति में सुधार होने पर वह सामाजिक बदलाव का मार्ग प्रशस्त करने में सक्षम होती है।²

महिला सशक्तिकरण के रास्ते में निम्नलिखित रुकावटें हैं:-

1. प्रायः देखा जाता है कि भारतीय महिलायें को पारिवारिक और सामाजिक विषयों में निर्णय नहीं लेने दिया जाता है कभी-कभी परिवार में, जिसमें महिलायें पुरुषों से ज्यादा कमाती हैं उस परिवार में भी उन्हें निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता है।

2. महिला सशक्तिकरण में मीडिया का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है यह बहुत अफसोस की बात है कि भारतीय महिलायें 100 प्रतिशत मीडिया से अभी तक नहीं जुड़ पाई हैं।

3. घरेलू हिंसा, महिला सशक्तिकरण के रास्ते में बड़ी रुकावट है एक अनुमान के अनुसार भारत में, हर पांच में से दो महिलायें घरेलू हिंसा की शिकार हैं।

4. भारतीय समाज में आज भी खासतौर पर मध्यवर्गीय परिवार में, लड़कियों को अकेले घर से बाहर जाने की आजादी नहीं दी जाती है।

5. आज भी लड़को के मुकाबले बहुत कम लड़कियाँ स्कूल जा पाती हैं, जो लड़कियाँ स्कूल जा सकती हैं उनमें से बहुत कम लड़कियाँ दसवीं कक्षा से ज्यादा पढ़ पाती हैं।³

“घर से बाहर चले जाने का अर्थ ही है ज्यादा से ज्यादा पुरुषों के सम्पर्क में आना स्कूल कालेज, दफ्तर, सड़क, बस और तमाम दूसरी सार्वजनिक जगहों पर अब तक पुरुष का एकाधिकार रहा है उस एकाधिकार के टूटने से पुरुष हड़बड़ाया भी है, दूसरी तरफ उसने बाहर आयी इस औरत को स्वीकार करने की कौशिश भी की है। स्वीकृति-अस्वीकृति की यह स्थिति औरत ने घर पर भी झेली है और बाहर भी। परिवार के पुरुष उसका बाहर जाना सहज रूप से नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरह इसका विरोध कर पाने की स्थिति में भी नहीं है। इसके कारण अनेक प्रकार के असमंजस पैदा हुए हैं।⁴

भारतीय स्त्री को पुरुष के बराबर की भागीदार एवं जीवन के सभी क्षेत्रों में उसकी सक्रिय सहभागिता की अवधारणा जितनी हैरतअंगेज आज है उतनी पहले कभी नहीं थी। हमारे पास एक ओर हमारा संविधान है जो स्त्रियों को बराबरी का दर्जा देने की बार-बार पवित्र घोषणा करता है तथा इधर-उधर कुछ स्त्रियाँ नेताओं के रूप में दिखाई पड़ती हैं। जबकि दूसरी ओर भारतीय स्त्रियों की भयावह स्थिति दिखाई देती है। रूढ़िवादी संस्कृति स्त्रियों को घर के अंतःपुर में रहने और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय सहभागिता से दूर रहने का उपदेश देती है। दूसरी ओर तेजी से बढ़ती पाश्चात्य संस्कृति ने स्त्री को मात्र भोगविलास की वस्तु बना दिया है कला एवं साहित्य में स्त्रियों के प्रति अश्लीलता आम है। पुरुषों की आक्रामक श्रेष्ठता ने महिलाओं से छेड़छाड़ एवं उससे भी एक कदम आगे बलात्कार की रूग्ण मानसिकता को जन्म दिया है हममें से अनेक स्त्रियों को अपने जीविकोपार्जन के लिये काम करने की इजाजत नहीं है। तथा जो स्त्रियाँ पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं उन्हें समान कार्य के लिये समान वेतन नहीं दिया जाता। गृहस्थी का काम करने वाली स्त्रियों की स्थिति भी ठीक नहीं है घर की चारदीवारी में कैद होकर सुबह से रात तक कमर-तोड़ काम करने वाली स्त्रियों को न तो किसी प्रकार की आजादी है और न ही कोई सम्मान दिया जाता है।⁵

कानूनी भेदभाव एवं अत्याचार

अन्य मुख्य असमानता का कारण समाज में महिलाओं का निम्न स्तर होना है, जिसमें कानून में भेदभाव और महिलाओं के प्रति अत्याचार एवं हिंसा भी सम्मिलित है। महिलाओं के अधिकार एवं भेदभाव की समाप्ति के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1979 में चार्टर जारी किया था, परन्तु अभी तक 41 सदस्य देशों ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं, 6 ने हस्ताक्षर तो किये हैं, परन्तु अनुमोदन नहीं किया है, 43 ने अनुमोदन कुछ शर्तों के साथ किया है। इस प्रकार 90 देशों में महिला समानता के सभी पहलुओं को स्वीकार नहीं किया गया है।⁶

जनवेदना नामक दलित मराठी अखबार ने स्त्रियों के ऊपर एक विशेषांक प्रकाशित किया जिसका शीर्षक था, "तीसरी दुनिया में स्त्रियों का आधे आसमान पर आधिपत्य" उपरोक्त शीर्षक चीनी भाषा के एक बयान से लिया गया था जिसका आशय पहली दुनिया के नारीवाद से अपने अलगाव को स्पष्ट करना था, तथा कुछ महिनों बाद दलित स्त्रियों द्वारा एक नया संगठन तैयार किया गया। जिसका नाम रखा गया महिला समता सैनिक दल। अपने नाम के अनुसार इस संगठन ने बराबरी तथा स्त्रियों की जुझारू छवि विकसित करने पर बल दिया। इस संगठन की एक धुंधली समानता अमेरिका के काले आन्दोलन (Black Movement) से की जा सकती थी और दल के घोषणापत्र में ऐंजेलो डेविस को वास्तव में अपनी बहन बताया। हाँलाकि प्रगतिशील महिला संगठन (POW) की भाँति महिला समता सैनिक दल ने भी महिलाओं के यौन उत्पीड़न का अपने घोषणा-पत्र में पुरजोर विश्लेषण POW से मौलिक रूप से भिन्न था। दल ने महिलाओं तथा दलितों के उत्पीड़न का मुख्य कारक धर्म को माना तथा जाति व्यवस्था को भारत में असमानता का स्रोत बताया।



“लोगों पर जाति का लेबल लगाकर उन्हें सताया जाता है तथा गुलाम बना लिया जाता है। इसलिये जाति व्यवस्था को जब तक जड़ से उखाड़ फेंका नहीं जायेगा तब तक लोगों में भेदभाव करने वाली जाति-विचार धारा नहीं मरेगी। पूर्ण समानता स्थापित नहीं की जा सकेगी। यह हमारी दृढ़ अवधारणा है। जाति व्यवस्था की रचना स्वार्थी व्यक्तियों द्वारा उनके स्वार्थ की पूर्ति के लिये की गयी है। हम इसे समाप्त करने वाले सैनिक बन गये हैं।

ये रीति-रिवाज ही हैं जो धर्म के नाम पर दासता को बढ़ावा देते हैं। यह धर्म ही है जिसने स्त्रियों को गुलाम बना रखा है। धार्मिक पुस्तकों, जो स्त्रियों तथा शुद्रों को निकृष्ट मानकर हमें शिक्षा ज्ञान तथा स्वतंत्रता से वंचित करती हैं, स्वार्थी हैं। ये सभी पुस्तकें पुरुषों द्वारा लिखी गई हैं तथा स्त्रियों को गुलाम बनाये रखा गया है।”

“मानव इतिहास का पहला द्वैत था लैंगिक आधार पर श्रम का विभाजन जो स्त्रियों की पुनरुत्पादन योग्यता के कारण उभरा। स्त्रियों के जीवन का बड़ा हिस्सा शिशु जन्म, शिशुओं की देखभाल में बीत जाता है जिससे उनकी गतिशीलता कम हो जाती है और वे गृहिणी मात्र बनकर रह जाती हैं। जैसे-जैसे समाज पहले कृषि, फिर व्यापार और तत्पश्चात् उद्योगोन्मुख हुआ, महिलाओं का दायित्व प्रसव, शिशु देखभाल इत्यादि तक सीमित कर दिया गया। स्त्री शरीर पर नियंत्रण का विनियोजन पूंजीवाद के अन्तर्गत हमारे उत्पीड़न का सर्वाधिक उल्लेखनीय नमूना है। गैर पूंजीवादी समाज ने जहां अपनी जनसंख्या को नियमित करने की जरूरत महसूस की, वही पूंजीवाद ने महसूस किया कि श्रमशक्ति को नियमित करने की जरूरत है क्योंकि उत्पादन एवं उपभोग में तालमेल बैठाने के लिये पुनरुत्पादक क्षमताओं पर अधिक व्यवस्थित नियंत्रण की आवश्यकता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के सुगम संचालन को सुनिश्चित करने के लिये यह बुनियादी जरूरत बन गया क्योंकि अति रोजगार या अल्परोजगार इसके लिये खतनाक था।”



आज के युग राजनीति हमारे जीवन के सभी पहलुओं पर प्रभाव डालती है, इसलिये राजनीतिक प्रक्रिया में जनसामान्य के सभी वर्गों की उचित भागीदारी समाज एवं देश के संतुलित विकास हेतु अत्यावश्यक है। आज महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास के लिये तथा बाल विकास कार्यक्रम (DWACRA-1982) राष्ट्रीय महिला कोष (NWF-1992-93) महिला समृद्धि योजना (MSY-1993) इंदिरा महिला योजना (IMY-1995) महिला प्रशिक्षण एवं रोजगार सहायता कार्यक्रम (STEP-1987) प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र योजना (TPCS-1996-97) कस्तूबा गांधी शिक्षा योजना (RGES-1997) बालिका समृद्धि योजना (MSY-1997) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP-1995) इत्यादि। आज महिलाओं के बारे में पुरुषों की बराबरी के तमाम दावे पेश किए जा रहे हैं, पर वास्तविकता यह है कि महिलाएँ आज भी पुरुषों से हरेक मामले में पिछड़ी हैं। खासकर ग्रामीण महिलाएँ तो इनतमाम योजनाओं का लाभ बहुत कम उठा पाती हैं या बिल्कुल ही नहीं उठा पाती हैं। इसके पीछे प्रमुख कारण है ग्रामीण महिलाओं में राजनीतिक तथा सामाजिक जागरूकता का अभाव। 1921 के कांग्रेस अधिवेशन में 144 महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया यह संगठन पूरी तरह से राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिये समर्पित था। यह पहला महिला संगठन था जो बिना पुरुषों की मदद से चलाया जाता था— महिलाओं का उद्धार महिलाओं की राजनीतिक गतिविधियों और महिला जागरूकता के द्वारा ही सम्भव था

इसे तमिल के एक राष्ट्रवादी कवि ने 1926 के दशक में इस प्रकार अभिव्यक्ति दी थी—

नाचों और खुशियां मनाओं
जिन्होंने कहा था
महिलाओं का किताबे छूना पाप है
मर चुका है
जिन पागलों ने कहा था
वे स्त्रियों को बंद करके रखेंगे
अब अपना चेहरा छिपा कर बैठे है
उन्होंने घरों में हमसे ऐसे काम कराया
माना हम गाय बैल हों

मार खाकर चुप-चाप काम करना
हमने उसे समाप्त कर दिया है
नाचों, गाओ और खुशियां मनाओं।¹⁰

निष्कर्ष

हमारा लक्ष्य के बल महिलाओं की सामाजिक आर्थिक शैक्षिक एवं राजनैतिक स्थिति में सुधार लाना ही नहीं है, बल्कि उनकी निजता की सुरक्षा और सम्मान भी आवश्यक है यदि नारी की निजता और सम्मान ही सुरक्षित नहीं होगा, तो नारी सशक्तिकरण का लक्ष्य भला कैसे पूर्ण हो सकता है? चाहे महिला सशक्तिकरण हेतु चलाई जा रही योजनाओं के लाभ की बात हो या विभिन्न कानूनों के माध्यम से शोषण के विरुद्ध अधिकार की, प्रत्येक स्थिति में तथा प्रत्येक स्तर पर निजता की रक्षा एवं सम्मान अपरिहार्य है, उससे किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता यह न केवल आवश्यक, बल्कि अनिवार्य भी है कि महिलाओं की निजता की रक्षा और सम्मान के साथ महिला सशक्तिकरण की सफलता हेतु सार्थक प्रयास किए जाए ताकि महिला सशक्तिकरण को सच्चे अर्थों में प्राप्त किया जा सके, एक स्त्री की प्रगति पर ही परिवार, समाज एवं देश की प्रगति निर्भर है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हमें नारी सशक्तिकरण हेतु सहयोग करने की आवश्यकता है अन्ततः-

“पुरुष के पौरुष से ही सिर्फ
बनेगी धरा नहीं यह स्वर्ग,
चाहिए नारी का नारीत्व
तभी पूरा होगा यह सर्ग”।¹¹

समाज की आधी आबादी (महिलाओं) की स्थिति दर्दनाक है। उन्हें अपने हिस्से के आसमां का इन्तजार है। किसी शायर ने कहा है कि-

“हजारो साल गरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है,
बड़ी मुश्किल से होता है, चमन में दीदावर पैदा”

लगता है आज भी पुरुष प्रधान भारतीय समाज में महिलाओं को किसी “दीदावर” का इन्तजार है, जो उनकी स्थिति में परिवर्तन कर उनको माकूल स्थान दिला सके।¹²

सन्दर्भ

1. डॉ0 सविता. महिला सशक्तिकरण एवं ग्रामीण विकास. नीरज पब्लिशिंग हाउस: दिल्ली. पृष्ठ 136.
2. (2021). प्रतियोगिता दर्पण. मार्च. पृष्ठ 160.
3. (2021). प्रतियोगिता दर्पण. सितम्बर. पृष्ठ 73.
4. राजकिशोर. स्त्री के लिये जगह. वाणी प्रकाशन: नई दिल्ली. पृष्ठ 154.
5. गैल, ओमवेट. (1980). विविल स्मैश दिस प्रिजन. जेड प्रेस: लंदन. अनुसूची. पृष्ठ 11.
6. लवानिया, डॉ. एम. एम. भारतीय महिलाओं का समाजशास्त्र रिसर्च पब्लिकेशन: जयपुर. पृष्ठ 125.
7. कुमार, राधा. (1990). स्त्री संघर्ष का इतिहास 1800-1990. वाणी प्रकाशन: नई दिल्ली 110002. पृष्ठ 220.
8. (1979). स्त्री संघर्ष का अप्रकाशित घोषणा पत्र।
9. सिंह, जे. पी. (2003). बदलते भारत की समस्याएं. जानकी प्रकाशन: नई दिल्ली. पृष्ठ 100.
10. प्रकाश नारायण नाटाणी, लिंग एवं समाज. रिसर्च पब्लिकेशन जयपुर. पृष्ठ 127.
11. (2021). प्रतियोगिता दर्पण. मार्च. पृष्ठ 161.
12. डॉ0 अमित मलिक, महिला सशक्तिकरण (भारत की नई तस्वीर) विश्व भारती पब्लिकेशन: नई दिल्ली 110002. पृष्ठ 141.